न्यायालय: विशेष न्यायाधीश (उ०प्र० गिरोहबन्द समाज विरोधी क्रियाकलाप (निवारण) अधिनियम)/
अपर सत्र न्यायाधीश, कक्ष संख्या–3, एटा।

उपस्थित – 'कमालुद्दीन' उच्चतर न्यायिक सेवा

J.O. Code U.P. 2690

UPET010003872008

जी०एस०टी० संख्या–321/2008

उ०प्र० राज्य

-------अभियोजन पक्ष

–बनाम–

1– चन्द्रकान्त उर्फ कैमी पुत्र मुंशीलाल
2– विपिन उर्फ गुडडू पुत्र मुंशीलाल
3– रामू उर्फ रमाकान्त पुत्र मंशीलाल
निवासीगण–ग्राम बारथर, थाना कोतवाली देहात, जिला एटा।

-------अभियुक्तगण

अपराध संख्या–548/2007
आरोप पत्र की धारा–2/3 उ०प्र० गिरोहबन्द समाज विरोधी क्रिया कलाप (निवारण) अधिनियम, 1986
थाना–कोतवाली देहात, जिला एटा।

संक्षिप्त विवरण	
जी०एस०टी० संख्या	321/2008
अपराध संख्या	548/2007
धारा	2/3 उ०प्र० गिरोहबन्द समाज विरोधी क्रियाकलाप (निवारण) अधिनियम, 1986
थाना	कोतवाली देहात
अभियुक्त	चन्द्रकान्त उर्फ कैमी, विपिन उर्फ गुडडू एवं रामू उर्फ रमाकान्त
प्रतिनिधित्व (अभियोजन)	श्री रक्षपाल सिंह शाक्य, विद्वान विशेष लोक अभियोजक
प्रतिनिधित्व (अभियुक्त)	श्री अमित कुमार जौहरी, विद्वान अधिवक्ता
घटना की तिथि	भिन्न–भिन्न
प्रथम सूचना रिपोर्ट अंकित कराये जाने की तिथि	20–07–2007
आरोप पत्र संख्या व प्रेषण की तिथि	आरोप पत्र संख्या–203/2008, दिनांक 09–06–2008
प्रसंज्ञान की तिथि	19–08–2008
आरोप विरचित किये जाने की तिथि	25–03–2010
निर्णय की तिथि	19–08–2026
निर्णय का परिणाम	दोषमुक्त

–निर्णय–

1– जी०एस०टी० संख्या–321/2008, राज्य बनाम चन्द्रकान्त आदि, अ०सं०–548/2007, अन्तर्गत धारा–2/3 उ०प्र० गिरोहबन्द समाज विरोधी क्रिया कलाप (निवारण) अधिनियम, 1986, थाना कोतवाली

Digitally signed by KAMALUDDIN
Date: 2026.08.19 16:22:31 IST
Reason: Document Owner
Location: District and Sessions Court

देहात, जिला एटा में अभियुक्तगण चन्द्रकान्त उर्फ कैमी, विपिन उर्फ गुडडू एवं रामू उर्फ रमाकान्त का इस न्यायालय द्वारा विचारण किया गया।

2– अभियोजन कथानक संक्षेप में इस प्रकार है कि वादी एस०ओ० राजवीर सिंह, थाना कोतवाली देहात ने दिनांक 20–07–2007 को जुबानी सूचना थाना कोतवाली देहात, एटा पर इस आशय की प्रस्तुत की गयी गयी कि–

वह एस०ओ० राजवीर सिंह मय कां० 167 अनीश अहमद हेड कां० 1453 अभय पाल सिंह मय जीप सरकारी UP82G0010 मय चालक सुघर सिंह के वास्ते देखरेख क्षेत्र व भ्रमण में रवानाशुदा रफ्ता रपट नं०–34, समय 12:40 पर तारीखी इमरोजा से वापस आया। दौरान क्षेत्र भ्रमण में जानकारी हुई कि अभियुक्त चन्द्रकांत उर्फ कैमी पुत्र मुंशीलाल निवासी वारथर, थाना कोतवाली देहात, जिला एटा का एक गिरोह का नेतृत्व करता है, जो एक संगठित गिरोह है। इसके सदस्य विपिन उर्फ गुड्डू पुत्र मुंशीलाल, रामू पुत्र मुंशीलाल निवासीगण बारथर, थाना कोतवाली देहात है। गिरोह का नेतृत्व चन्द्रकान्त उर्फ कैमी उपरोक्त करता है। यह इलाका में भिन्न–भिन्न स्थानों पर अपने साथियों के साथ जघन्य अपराधों में लिप्त रहकर भारतीय दण्ड विधान में वर्णित अध्याय 16,17 व 22 में वर्णित मानव शरीर पर प्रभाव डालने वाले व धन सम्पत्ति अवरोध करके समाज विरोधी क्रियाकलाप करते है। इनकी आपराधिक गतिविधियों के कारण जनपद एटा की आम जनता काफी भयभीत है। इसमें आपराधिक गतिविधियों के कारण कोई साधारण नागरिक की इन लोगों के विरुद्ध प्रथम सूचना रिपोर्ट व गवाही देने को तैयार नहीं होता और न ही साहस कर पाता। इनको उत्तर प्रदेश गिरोहबंद एवं समाज विरोधी क्रियाकलाप निवारण अधिनियम, 1986 में बाबत कराना जनशान्ति व प्रशासन हित में नितान्त आवश्यक है। इसका गैंगचार्ट अनुमोदितशुदा द्वारा जिलाधिकारी महोदय के मुझ एस०ओ० के पास है।

3– मु०अ०सं०–26/2007 धारा 376,504,506 भा०दं०सं० बनाम चन्द्रकान्त उर्फ कैमी, विपिन उर्फ गुडडू एवं रामू उर्फ रमाकान्त एवं अ०सं०–529/2007, धारा 384,506 भा०दं०सं० बनाम चन्द्रकान्त उर्फ कैमी, विपिन उर्फ गुडडू एवं रामू उर्फ रमाकान्त के प्रकरण के आधार पर तथा उपरोक्त जुबानी सूचना पर अ०सं०–548/2007, धारा 2/3 गैंगस्टर एक्ट बनाम चन्द्रकान्त उर्फ कैमी, विपिन उर्फ गुडडू एवं रामू उर्फ रमाकान्त के विरूद्ध प्रथम सूचना रिपोर्ट पंजीकृत की गयी, जिसकी चिक प्रथम सूचना रिपोर्ट **प्रदर्श क–1** दिनांक 20–07–2007 को अभियुक्तगण उपरोक्त के विरूद्ध किता की गयी तथा अपराध का खुलासा जी०डी० रपट नं0–43, समय 18:50 **प्रदर्श क–2** पर किया गया।

4– प्रकरण की विवेचना विवेचक को सुपुर्द की गयी। दौरान विवेचना विवेचक द्वारा बयान वादी व गवाहान व गैंगचार्ट के आधार पर मामले की विवेचना पूर्ण होने के उपरान्त अभियुक्तगण चन्द्रकान्त उर्फ कैमी, विपिन उर्फ गुडडू एवं रामू उर्फ रमाकान्त के विरूद्ध धारा 2/3 गैंगस्टर एक्ट का अपराध बनने पर उनके विरूद्ध तत्कालीन वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, एटा से आरोप पत्र प्रेषित किये जाने की अनुमति **प्रदर्श क–5** प्राप्त कर, विवेचक द्वारा आरोप पत्र **प्रदर्श क–4**, दिनांकित 09–06–2008 विचारण हेतु न्यायालय में प्रेषित किया गया, जिस पर विद्वान पूर्व पीठासीन अधिकारी विशेष न्यायाधीश (गैंगस्टर एक्ट), आगरा द्वारा दिनांक 19–08–2008 को प्रसंज्ञान लिया गया।

5– न्यायालय द्वारा अभियुक्तगण चन्द्रकान्त उर्फ कैमी, विपिन उर्फ गुडडू एवं रामू उर्फ रमाकान्त के विरूद्ध धारा–2/3 उ०प्र० गिरोहबन्द एवं समाज विरोधी गतिविधियाँ (निवारण) अधिनियम, 1986 का आरोप दिनांक 25–03–2010 को विरचित किया गया, जिसे अभियुक्तगण द्वारा अस्वीकार किया गया और विचारण की मांग की।

6– अभियोजन की ओर से अभियुक्तगण के विरूद्ध अधिरोपित आरोपों को साबित करने के लिए मौखिक साक्ष्य में 6 साक्षीगण को प्रस्तुत कर परीक्षित कराया गया है, जो इस प्रकार है:–

अभियोजन साक्षी का क्रम संख्या	**अभियोजन साक्षी का नाम**	**विवरण**
अभियोजन साक्षी पी०डब्लू०–1	उपनिरीक्षक गोविन्द यादव	तत्कालीन एच०एम०
अभियोजन साक्षी पी०डब्लू०–2	सेवानिवृत्त एस०ओ० राजवीर सिंह	वादी/शिकायतकर्ता

अभियोजन साक्षी पी०डब्लू०–3	सतीशचंद	स्वतंत्र साक्षी
अभियोजन साक्षी पी०डब्लू०–4	सेवानिवृत्त निरीक्षक इन्द्रेश कुमार भदौरिया	विवेचक
अभियोजन साक्षी पी०डब्लू०–5	सेवानिवृत्त उपनिरीक्षक गुलवीर सिंह	वादी/गैंगचार्ट तैयार कर्ता
अभियोजन साक्षी पी०डब्लू०–6	क्षेत्राधिकारी नरेश सिंह	विवेचक

7– अभियोजन की ओर से अपने कथानक के समर्थन में निम्न लिखित प्रलेखों को प्रस्तुत कर साबित कराया गया है:–

क्रम सं0	**प्रपत्र का नाम**	**प्रदर्श संख्या**	**अभियोजन साक्षी का विवरण, जिनके द्वारा अभियोजन प्रपत्रों की सत्यता को सिद्ध किया गया है।**
1	प्रथम सूचना रिपोर्ट	प्रदर्श क–1	पी०डब्लू०–1 उपनिरीक्षक गोविन्द यादव
2	जी०डी० रपट नं०–43	प्रदर्श क–2	पी०डब्लू०–1 उपनिरीक्षक गोविन्द यादव
3	गैंगचार्ट	प्रदर्श क–3	पी०डब्लू०–5 सेवानिरीक्षक उपनिरीक्षक गुलवीर सिंह
4	आरोप पत्र	प्रदर्श क–4	पी०डब्लू०–6 विवेचक क्षेत्राधिकारी नरेश सिंह
5	अभियोजन स्वीकृति आदेश	प्रदर्श क–5	पी०डब्लू०–6 विवेचक क्षेत्राधिकारी नरेश सिंह

8– अभियोजन पक्ष की साक्ष्य समाप्ति पर अभियुक्तगण का कथन अन्तर्गत धारा 313 दं०प्र०सं० दिनांक 23–07–2026 को अंकित किया गया, जिसमें प्रत्येक अभियुक्त द्वारा अभियोजन कथानक को गलत बताते हुए अभियोजन साक्षी पी०डब्लू०–1 लगायत पी०डब्लू०–5 के कथानक को गलत बताया है। अभियोजन साक्षी पी०डब्लू०–6 के कथानक को फर्जी कारगुजारी करना बताया है। अभियोग को गॉव की पार्टीबन्दी के कारण चलना बताया है। साक्षीगण के साक्ष्य के सम्बन्ध में झूॅठे बयान देना बताया है तथा सफाई साक्ष्य देने का कथन करते हुए कथन किया है कि वे निर्दोष हैं।

9– अभियुक्तगण की ओर से सफाई/साक्ष्य में फेहरिस्त 70ब/1 से अ०सं०–26/2007, सत्र परीक्षण संख्या–423/2007, राज्य बनाम चन्द्रकान्त आदि, धारा 376,504,506 भा०दं०सं०, थाना कोतवाली देहात, जिला एटा में पारित निर्णयादेश दिनांकित 21–04–2009 की प्रमाणित प्रति कागज संख्या 70ब/3 लगायत 70ब/5 एवं अ०सं०–529/2007, वाद संख्या–2813/2008, राज्य बनाम चन्द्रकान्त आदि, धारा 384,506 भा०दं०सं०, थाना कोतवाली देहात, जिला एटा में पारित निर्णयादेश दिनांकित 22–09–2022 की प्रमाणित प्रति कागज संख्या 70ब/7 लगायत 70ब/10 दाखिल किया गया है।

10– अभियोजन पक्ष की ओर से परीक्षित कराये गये मौखिक साक्ष्यों के कथन संक्षेप में इस प्रकार है–

11– अभियोजन पक्ष की ओर से सर्वप्रथम साक्षी **पी०डब्लू०–1 उपनिरीक्षक गोविन्द यादव** को परीक्षित कराया गया है, जिन्होंने अपनी सशपथ मुख्य परीक्षा में कथन किया है कि दिनांक 20.07.2007 को वह थाना कोतवाली देहात पर बतौर एच०एम० तैनात था। उस दिनांक को एस०ओ० राजवीर सिंह की जुबानी सूचना पर उसने चिक एफ०आई०आर० किता की थी, जो पत्रावली पर कागज संख्या 4अ/1 व 4अ/2 के रूप में उपलब्ध है, जो उसके हस्तलेख हस्ताक्षर में है। इस मुकदमें का खुलासा उसने जी०डी० की रपट नं० 43 समय 18:50 बजे पर उक्त दिनांक को ही किया था। जी०डी० की कार्बन प्रति पत्रावली पर उपलब्ध है। इसे वह अपने हस्ताक्षरों से प्रमाणित करता है। चिक एफ०आई०आर० पर प्रदर्श क–1 व जी०डी० की कार्बन प्रति पर प्रदर्श क–2 डाला गया। असल जी०डी० नष्ट की जा चुकी है।

12– इस साक्षी ने बचाव पक्ष की जिरह में कथन किया है कि चिक किता करने में लगभग 30 से 45 मिनट लगे होगे। जी०डी० किता करने में लगभग 20 मिनट लगे होंगे। सबसे पहले एफ०आई०आर० किता की फिर

इसका खुलासा जी०डी० में किया था। इस मुकदमें के वादी दरोगाजी 18:50 पर आये थे। उन्होंने जो बोला था उसने किता किया था। उसे इस केस की व्यक्तिगत जानकारी नहीं है। इस बात की जानकारी उसे थी कि अभियुक्तों के विरुद्ध अ०सं०–26/2007, धारा 376,504,506 भा०दं०सं० व अ०सं०–529/2007, धारा 384,506 भा०दं०सं० के पंजीकृत की। इनके अलावा कोई अन्य मुकदमें की जानकारी उसे नहीं है। इन दोनो अ०सं० के वादी एक ही वादी सतीश चन्द्र द्वारा अलग–अलग तिथियों में पंजीकृत कराये थे, जो कि अभियुक्त चन्द्रकान्त के गांव बारथर के ही रहने वाले है। दरोगा जी की रवानगी थाने से कितने बजे हुई, अभिलेख देखकर ही बता सकता है। थाने पर उस समय कोई मुल्जिम इस अभियोग में गिरफ्तार होकर नहीं आया था। यह कहना गलत है कि राजनैतिक दबाव के कारण अभियुक्तगण को झूंठा नामित किया गया है। उसे इस बात की जानकारी भी नहीं है कि अ०सं०–26/2007, धारा 376,504,506 भा०दं०सं० में अभियुक्तगण दोषमुक्त हुए अथवा नहीं। उसे जानकारी नहीं है कि अ०सं०–529/2007, धारा 384,506 भा०दं०सं० थाना कोतवाली देहात, जिला एटा का मुकदमा मुल्जिमान के विरुद्ध दौरान जेल में रहते हुए पंजीकृत कराया गया है।

13– अभियोजन साक्षी **पी०डब्लू०–2 सेवानिवृत्त उपनिरीक्षक राजवीर सिंह** को परीक्षित कराया गया, जिन्होंने अपनी मुख्य परीक्षा में कथन किया है कि दिनांक 20.07.2007 को थाना कोतवाली देहात पर बतौर थानाध्यक्ष नियुक्त था। उस दिन में एस०ओ० मय हमराह कां० अनीस अहमद, होमगार्ड अभय पाल मय जीप सरकारी इलाका क्षेत्र में मामूर थे। दौरान भ्रमण ज्ञात हुआ कि अभियुक्त चन्द्रकांत उर्फ कैमी पुत्र मुंशीलाल निवासी बारथर, थाना कोतवाली देहात, एटा का नेतृत्व करता है, जिसने एक सुसंगठित गिरोह बना रखा है, जिसका सदस्य विपिन उर्फ गुड्डू पुत्र मुंशीलाल व सदस्य रामू पुत्र मुंशीलाल निवासीगण बारथर, थाना कोतवाली देहात, का संचालन करता है। यह लोग इलाका क्षेत्र में भिन्न–भिन्न स्थानों पर अपने साथियों के साथ अपराध में संलिप्त होकर भा०दं०सं० के अध्याय 16, 17, 22 में वर्णित मानव शरीर पर प्रभाव डालने वाले सम्बन्धी अपराध करके समाज विरोधी क्रियाकलाप में लिप्त रहते हैं, जिनकी अपराधिक गतिविधियों के कारण जिले की आम जनता काफी भयभीत रहती है तथा डर व भय के कारण आम जनता का कोई भी व्यक्ति रिपोर्ट लिखाने को तैयार नहीं रहता है। इसलिए उपरोक्त लोगों की गैंगस्टर रिपोर्ट लिखा जाना अत्यंत आवश्यक है। गैंगचार्ट अनुमोदितशुदा जिलाधिकारी एटा का दाखिल हुआ, जो थाना प्रभारी गुलवीर सिंह थाना कोतवाली देहात द्वारा तैयार किया गया, जिसमें गैंगस्टर एक्ट में वर्णित तथ्यों एवं सूचना जुबानी के आधार पर उसके द्वारा तैयार किया गया, जिसमें गैंगस्टर में एच०एम० गोंविन्द ने उसके बोलने पर अपराध सं०–548/2007 बनाम चन्द्रकान्त उर्फ कैमी आदि तीन नम्बर की चिक किता की थी, जिस पर उसके हस्ताक्षर हैं, जिस पर प्रदर्श क–1 पहले से पड़ा हुआ है। अवध बिहारी लाल ने उसका बयान लिया था।

14– इस साक्षी ने बचाव पक्ष की जिरह में कथन किया है कि अ०सं०–26/2007 व 529/2007 थाना कोतवाली देहात का वादी सतीश चन्द्र थे। मुल्जिम व वादी दोनों ग्राम बारथर के रहने वाले है। मुल्जिमान के विरुद्ध उपरोक्त दो मुकदमों के अलावा कोई अन्य मुकदमा किसी अन्य थाने में पंजीकृत नहीं था न उसकी जानकारी में था। यह उसकी जानकारी मे नहीं है कि उपरोक्त दोनों मुकदमों में अभियुक्तगण दोषमुक्त हो चुके है। उसकी जानकारी में मु०अ०सं०–529/2007 के सम्बन्ध में कस्टडी में लाये पुलिस वालों के बयान 161 दं०प्र०सं० के लिए या नहीं उसे नहीं मालुम। सतीश के अलावा वह जनता के किसी व्यक्ति का नाम नहीं बता सकता, न उसने नाम नोट किये थे और न ही सतीश के अलावा अन्य किसी व्यक्ति ने तहरीर दी थी। यह कहना गलत है कि गैंगस्टर का मुकदमा उसने उच्च अधिकारियों के दबाव में लिखाया था। उसके द्वारा गैंगस्टर के मुकदमें या गैंगचार्ट में दर्शाये गये मुकदमें की कोई विवेचना नहीं की गयी है। यह कहना गलत है कि उसके द्वारा सही जाँच करके मुकदमा नहीं लिखाया गया। यह कहना भी गलत है कि पार्टीबन्दी व राजनीतिक दृष्टि से मुकदमा झूंठा लिखाया गया। यह कहना गलत है कि उसके द्वारा फर्जी कार्यवाही करके मुकदमा लिखाया गया। यह कहना गलत है कि गुड वर्क के लिए अभियुक्तगण को फसांया गया है।

15– अभियोजन साक्षी **पी०डब्लू०–3 सतीश चन्द्र** को परीक्षित कराया गया, जिन्होंने अपनी मुख्य परीक्षा में कथन किया है कि उसके ममिया ससुर 19 वर्ष खत्म हो गये थे। वह अपनी पत्नी के साथ गया था। उसे ममिया ससुर के गांव का नाम नहीं पता। उसके घर पर कश्मीरी उम्र 14 वर्ष, दूसरी लड़की रेनू उम्र 9 वर्ष घर पर रह गयी थी। वह अपने घर पर नहीं था। दिनांक 26.01.2007 को चन्द्रकांत आदि लोग उसके घर में घुसे थे। कट्टा व तमंचा लेकर घुसे थे। उन्होंने उसकी बेटियों को धमकी दी कि जान से मार दे। चन्द्रकांत अकेला गया था। विपिन उर्फ गुड्डू, रामू उर्फ रमाकान्त भी साथ थे। उन्होंने लड़कियों के साथ गलत काम किया। लड़कियों को

मारने की धमकी दी। घर आने पर उसने उक्त का मुकदमा थाना कोतवाली देहात पर तीनों मुल्जिमान के खिलाफ लिखाया। पुलिस ने तीनों मुल्जिमानों के खिलाफ गैंगस्टर एक्ट की कार्यवाही की थी।

16– इस साक्षी ने बचाव पक्ष की जिरह में कथन किया है कि उसने आज से पहले लड़कियों वाले मुकदमें में गवाही दी थी। उसने इस न्यायालय में बताया था कि अज्ञात व्यक्ति द्वारा उसकी बच्ची के साथ वारदात की थी। वह तथा उसकी पत्नी उस वक्त घर पर नहीं थे। उसके बच्चों ने उसे मुल्जिमानों के नाम नहीं बताये थे। अभियुक्तगण के नाम गांव वालों के कहने पर लिखा दिये थे। ये सभी अभियुक्तगण हमारे उस मुकदमें में दोषमुक्त हो चुके है। इसकी उसे व्यक्तिगत जानकारी है। दूसरा मुकदमा भी न्यायालय से छूट चुका है, क्योंकि कस्टडी में धमकी देने के सम्बन्ध में था। इन लोगों की छवि समाज में गुण्डों वाली नहीं है। गैंगस्टर के मुकदमें में विवेचक ने उसका बयान नहीं लिया था। यदि उसका बयान लिख दिया है तो वह उसकी वजह नहीं बता सकता। हम तथा अभियुक्तगण आज भी गांव में रह रहे है। उसे आज भी इसने कोई परेशानी नहीं है, न ही उसकी बेटियों को है। उसने मुख्य परीक्षा में दिया बयान पुलिस के अनुसार दिया है। उसकी बच्ची का मेडिकल हुआ था, जिसमें उसकी उम्र 18 से अधिक आयी थी। उसके डॉक्टरी परीक्षण में बलात्कार की पुष्टि नहीं हुई थी। मुल्जिमानों द्वारा न तो पहले, न ही आज कभी भी धमकी नहीं दी गयी है, न ही मुल्जिमानों द्वारा उसकी बच्ची के साथ बलात्कार या धमकी दी गयी। यह कहना सही है कि उसने गांव वालों के कहने/बहकावे में आकर मुकदमा लिखा दिया था।

17– अभियोजन साक्षी **पी०डब्लू०–4 सेवानिवृत्त निरीक्षक इन्द्रेश कुमार भदौरिया** को परीक्षित कराया गया, जिसने अपनी मुख्य परीक्षा में कथन किया है कि दिनांक 22.04.2008 को थाना कोतवाली देहात पर बतौर थानाध्यक्ष पर तैनात थे। क्षेत्राधिकारी नगर के आदेशानुसार अपराध संख्या–548/2007, धारा 2/3 गैंगस्टर एक्ट, थाना कोतवाली देहात की विवेचना ग्रहण की गयी, जिसका तस्करा पर्चा नं०–14 में किया गया। दिनांक 23.04.2008 को पूर्व विवेचक द्वारा किता की गयी, सी०डी० का अवलोकन किया गया, जिसका विवरण पर्चा नं०–15 में किया गया। दिनांक 26.04.2008 को अभियुक्तगण चन्द्रकान्त उर्फ कैमी, विपिन कुमार को उसके द्वारा गिरफ्तार किया गया, जिनको थाना कोतवाली देहात पर दाखिल किया और उनका बयान लिया गया। दिनांक 09.05.2008 को अभियुक्तगण का रिमाण्ड लिया गया। तदोपरान्त उसका स्थानान्तरण हो गया।

18– इस साक्षी ने बचाव पक्ष की जिरह में कथन किया है कि उसके पास मुकदमें की विवेचना अल्पकाल के लिए रही। उसने उस समय तक सम्पत्ति की कोई जांच नहीं की थी। गैंगचार्ट में दर्शाये गये मुकदमा के अतिरिक्त इन मुल्जिमान पर कोई अन्य मुकदमा था या नहीं, उसे मालूम नहीं। गैंगचार्ट में उल्लिखित दोनों मुकदमें माननीय न्यायालय से अभियुक्तगण दोषमुक्त हो चुके है, इसकी जानकारी उसे नहीं है। यह कहना सही है कि गैंगचार्ट में दर्शाये गये दोनों मुकदमों का वादी एक ही व्यक्ति है। यह कहना सही है कि दोनों मुकदमें थोड़े दिनों के अन्तराल में लिखे गये। पी०डब्लू०–3 सतीश चन्द्र का बयान पढ़कर सुनाया गया, विवेचक द्वारा धारा 161 दं०प्र०सं० का बयान लिख लिया है, इसकी वजह वह नहीं बता सकता है। उसके द्वारा सतीश चन्द्र का बयान दर्ज नहीं किया गया। यह कहना गलत है कि उसके द्वारा थाने पर बैठकर गलत विवेचना की गयी तथा फर्जी पेपर किता किये गये हो। यह कहना गलत है कि गांव की पार्टीबन्दी में मुल्जिमान की छवि धूमिल करने के उद्देश्य से झूंठा मुकदमा लगाया गया हो। इन दोनों मुकदमों के अलावा इनके आपराधिक इतिहास के बारे में उसे जानकारी नहीं है। उसने अपनी विवेचना में इस सम्बन्ध में कोई पर्चा किता नहीं किया है कि मुल्जिमान का पूर्व कोई आपराधिक इतिहास है या नहीं। यह कहना गलत है कि उसके द्वारा फर्जी कार्यवाही की गयी हो।

19– अभियोजन साक्षी **पी०डब्लू०–5 सेवानिवृत्त उपनिरीक्षक गुलवीर सिंह** को परीक्षित कराया गया, जिसने अपनी मुख्य परीक्षा में कथन किया है कि जुलाई 2007 में थाना कोतवाली देहात पर बतौर थाना प्रभारी तैनात रहे थे। उसके द्वारा एक गैंगचार्ट जिसके गैंगलीडर चन्द्रकांत उर्फ कैमी पुत्र मुंशीलाल व सदस्य विपिन उर्फ गुड्डू व रामू पुत्रगण मुंशीलाल निवासीगण बारथर, थाना कोतवाली देहात का गैंगचार्ट नियमानुसार उसके द्वारा तैयार किया गया था, जिनके विरूद्ध अ०सं०–26/2007 धारा 376, 504, 506 भा०दं०सं० व अ०सं०–529/2007 धारा 384, 506 भा०दं०सं० सभी अभियुक्तगण के विरूद्ध दर्ज होने की वजह से जिसकी संस्तुति श्रीमान् क्षेत्राधिकारी व अपर पुलिस अधीक्षक व वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक एटा द्वारा की गई थी, जिसका अनुमोदन जिलाधिकारी, एटा द्वारा किया गया था। अभियुक्तगण शातिर किस्म के अपराधी थे। अभियुक्तगण गलत काम करते थे, इनका जनता में भय, आतंक व्याप्त था। ये लोग अवैध रूप से धनोपार्जन करते थे। संगठित गिरोह बनाकर आर्थिक लाभ हेतु अपराध करते थे। गैंगचार्ट उसके लेख व हस्ताक्षर में कागज सं०–

5अ/1 संलग्न है, जिस पर प्रदर्श क–3 डाला गया। इसके बाद उसका स्थानांतरण हो गया। विवेचक ने उसका बयान दिनांक 22.11.2007 को लिया था।

20– इस साक्षी ने बचाव पक्ष की जिरह में कथन किया है कि जब गैंगचार्ट बनाते हैं तो गैंगचार्ट पर उस दिन की दिनांक डालते हैं। गैंगचार्ट पर दिनांक उसके द्वारा सहवन गलती से छूट गयी है। उसके द्वारा मुख्य परीक्षा में सहवन गलती से रह गयी, दिनांक नहीं बतायी गयी है। गैंगचार्ट पर उसके हस्ताक्षर दूसरे पैन से है। इसका इन्द्राज उसके द्वारा जी०डी० में नहीं किया गया था। इसकी कोई वजह नहीं है। विधान उसने अपने मन से लिखा है। उसने मुल्जिमानों के बारे में अवैध संपत्ति के बारे में जानकारी जनता से की थी। किसी जनता के व्यक्ति का बयान नहीं लिखा, न किसी जनता के व्यक्ति का नाम उल्लेख किया है। उसे नहीं मालूम कि अभियुक्तगण ने कौन सी अवैध संपत्ति और रूपया इकट्ठा किया है। गांव में जाकर अभियुक्तगण के आचरण के संबंध में किसी का बयान लिया, लेकिन भय के कारण किसी ने अपना नाम नहीं बताया। गांव जाकर उसने अभियुक्तगण की संपत्ति उसने चिन्हित की थी, इनके बारथर में मकान बहुत अच्छे बने हैं। चिन्हित जगह की उसे कोई जानकारी नहीं है। उसने संपत्ति के बारे में कोई साक्ष्य नहीं लगाया है और न उसे कोई साक्ष्य मिला। उसने अभियुक्तगण के बैंक एकाउंट की जानकारी नहीं की थी कि इनके खाते में कितना पैसा है। अ०सं०–26/2007 व 529/2007 में मुल्जिमान दोषमुक्त हो चुके हैं, उसे इसकी जानकारी नहीं है। अखबार में कोई गजट इन अभियुक्तगण के संबंध में निकलवाया हो, इसकी उसे जानकारी नहीं है। गैंगचार्ट में उल्लिखित मुकदमों के अलावा अगर इन पर और मुकदमें होते तो गैंगचार्ट में उनका उल्लेख होता। यह कहना गलत है कि उसके द्वारा फर्जी रूप से कार्यवाही की गयी हो और फर्जी रूप से गैंगचार्ट दाखिल किया गया हो और एन्टी टाइम दाखिल की गयी हो। यह कहना गलत है कि उसके द्वारा पार्टीबन्दी में अभियुक्तगण को झूंठा फंसाया गया हो। यह कहना गलत है कि ये अभियुक्तगण गरीब व्यक्ति हो और उसके द्वारा उन्हें झूंठा फंसाया गया है। यह कहना गलत है कि बीट के सिपाही की सूचना के आधार पर गैंगचार्ट तैयार किया गया है। यह कहना गलत है कि आज वह न्यायालय में झूंठा बयान दे रहा है।

21– अभियोजन साक्षी **पी०डब्लू०–6 क्षेत्राधिकारी नरेश सिंह** को परीक्षित कराया गया, जिसने अपनी मुख्य परीक्षा में कथन किया है कि दिनांक 09.06.2008 को वह थाना कोतवाली देहात पर बतौर थानाध्यक्ष तैनात था। अ०सं०–548/2007, धारा 2/3 गैंगस्टर एक्ट बनाम चन्द्रकांत आदि की विवेचना पूर्व विवेचक इन्द्रेश कुमार भदौरिया का स्थानान्तरण हो जाने व उसकी नवनियुक्ति होने की वजह से उसके द्वारा विवेचना ग्रहण की गयी, जिसका विवरण पर्चा नं०–28 में उसके द्वारा किया गया। विवेचना एस०ओ० सोनवीर सिंह थानाध्यक्ष बागवाला, मजीद बयान एस०आई० गुलवीर सिंह का बयान लिया तथा पर्याप्त साक्ष्य पाते हुए आरोप पत्र संख्या 203/2008 दिनांक 09.06.2008 को मु०अ०सं०–548/2007 धारा 2/3 गैंगस्टर एक्ट, थाना कोतवाली देहात में अभियुक्तगण चन्द्रकांत उर्फ कैमी, विपिन उर्फ गुड्डू, रामू उर्फ रामाकांत पुत्र मुंशीलाल निवासीगण बारथर, थाना कोतवाली देहात, जिला एटा के विरूद्ध न्यायालय प्रेषित की गयी जो आरोप पत्र पत्रावली में 3क/1 उसके लेख हस्ताक्षर में पत्रावली में संलग्न है, जिस पर प्रदर्श क–4 डाला गया। अभियोजन स्वीकृति अभियुक्तगण के विरूद्ध न्यायालय में मुकदमा चलाने हेतु एस०एस०पी० एटा को प्रस्तुत की गयी थी, जिसकी आख्या प्राप्त कर अवलोकन कर एस०सी०डी०–1 में विवरण किया गया, जो अभियोजन स्वीकृति पत्रावली पर टाइपशुदा 6क/1 संलग्न है, जिस पर तत्कालीन वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक सुशील कुमार सिंह के हस्ताक्षर है। वह उनके हस्ताक्षर पहचानता है। अभियोजन स्वीकृति पर प्रदर्श क–5 डाला गया।

22– इस साक्षी ने बचाव पक्ष की जिरह में कथन किया है कि उसके द्वारा गांव में जाकर किसी पब्लिक के व्यक्ति के बयान नहीं लिये गये। वह गांव मे गया था, लेकिन भय व आंतक के कारण किसी ने बयान नहीं दिया। उसके द्वारा गॉव मे जाकर अभियुक्तों के मकान देखे गये थे। उसने केस डायरी मे अभियुक्तों के मकान का नक्शा या हुलिया अंकित नहीं किया है। अभियुक्तगण की अन्य सम्पत्ति के बारे मे जानकारी का प्रयास किया गया था, लेकिन कोई जानकारी प्राप्त नहीं हुई। यह कहना सही है कि उसके द्वारा इस केस की सम्पूर्ण विवेचना नहीं की गयी है, केवल अन्तिम पर्चा काटा गया है। अ०सं०–26/2007 थाना कोतवाली देहात, अ०सं०–529/2007 थाना कोतवाली देहात जो गैंगचार्ट मे दर्शाये गये है। ये दोनों मुकदमें न्यायालय से छूट गये है। इस सम्बन्ध में उसे कोई जानकारी नहीं है। मुल्जिमान द्वारा गैंग बनाकर जो सम्पत्ति अर्जित की गयी, उसके सम्बन्ध में उसे जानकारी नहीं हो पायी थी। उसे इस समय ध्यान नहीं है कि गैंगचार्ट मे दर्शित मुकदमों के अतिरिक्त अन्य कोई अपराध किसी अन्य थाने में पंजीकृत हो। केस डायरी मे गैंगचार्ट के अतिरिक्त अन्य किसी अपराध

का उल्लेख उसने नहीं किया। यह कहना सही है कि केस डायरी में उससे पूर्व विवेचको द्वारा भी गैंगचार्ट के अतिरिक्त अन्य किसी अपराध का उल्लेख नही किया गया। यह कहना गलत है कि फर्जी कारगुजारी कर गलत गैंगचार्ट तैयार किया गया हो और गलत साक्ष्य के आधार पर झूंठा आरोप पत्र दाखिल किया गया हो। यह कहना गलत है कि मुल्जिमान सीधे–साधे हो और उनको झूंठा फसाया गया हो। यह कहना गलत है कि मुल्जिमानों का कोई गैंग भी नहीं था और गांव की पार्टीबन्दी में झूंठा फसांया गया हो।

23– अभियोजन की ओर से उपस्थित विद्वान विशेष लोक अभियोजक (गैंगस्टर एक्ट) द्वारा यह तर्क दिया गया है कि अभियुक्तगण द्वारा संगठित गिरोह के सदस्य के रूप में गैंगचार्ट में उल्लिखित अपराध कारित कर समाज में भय कारित किया गया है। अभियुक्तगण द्वारा संगठित गिरोह के सदस्य के रूप में भौतिक, आर्थिक एवं दुनियावी लाभ प्राप्त किया गया है। अभियुक्तगण का समाज में इतना भय व्याप्त है कि किसी भी व्यक्ति द्वारा उनके विरूद्ध कोई आवाज नहीं उठायी जा सकती। अभियुक्तगण पर बलात्कार, गाली गलौज, जान से मारने की धमकी एवं जबरन वसूली करने का आरोप है। अभियुक्तगण शातिर किस्म के अपराधी हैं। इनके विरुद्ध जनता का कोई भी व्यक्ति गवाही देने को तैयार नहीं होता है। अभियोजन द्वारा गैंगचार्ट, प्रथम सूचना रिपोर्ट एवं अन्य दस्तावेजों को सम्यक रूप से साबित किया गया है। अभियुक्तगण द्वारा कारित अपराध समाज विरोधी है। अभियुक्तगण द्वारा कारित अपराध गंभीर प्रकृति के है, जिन्हें अभियोजन की ओर से प्रस्तुत साक्षी पी०डब्लू०–1 लगायत पी०डब्लू०–6 द्वारा अपनी साक्ष्य से बखूबी साबित किये हैं। अभियुक्तगण द्वारा उ०प्र० गिरोहबन्द एवं समाज विरोधी क्रियाकलाप निवारण अधिनियम 1986 की धारा–2 में वर्णित अपराध कारित किया गया है। अतः अभियुक्तगण को धारा 2/3 गैंगस्टर एक्ट के अंतर्गत दोषसिद्ध करते हुए दण्ड से दण्डित किया जाये।

24– अभियुक्तगण के विद्वान अधिवक्ता द्वारा तर्क किया गया है कि गैंगचार्ट में उल्लिखित मामला फर्जी है। अभियुक्तगण के द्वारा संगठित गिरोह के रूप में कोई भी अपराध कारित नहीं किया गया है। अभियुक्तगण के पास अपराध से सृजित कोई भी सम्पत्ति नहीं पायी गयी है। अभियुक्तगण का कोई गैंग नहीं है, न ही वे किसी गैंग के सदस्य है, न ही उनका समाज में कोई भय व आतंक है, उनके द्वारा किसी से अवैध धन की वसूली नहीं की गयी है। अभियोजन की ओर से प्रस्तुत किसी भी साक्षी की साक्ष्य में यह नहीं आया है कि अभियुक्तगण द्वारा अनैतिक क्रिया कलापों से कौन–कौन सी अवैध चल, अचल सम्पत्ति अर्जित की गयी है, ना ही पत्रावली पर इस आशय का कोई प्रलेखीय साक्ष्य उपलब्ध है। जिलाधिकारी द्वारा गैंगचार्ट का अनुमोदन मनमानी तरीके से किया गया है। गैंगचार्ट में उल्लिखित मुकदमें में अभियुक्तगण की पहचान किसी भी साक्षी के द्वारा नहीं की गयी है। अभियुक्तगण का कोई आपराधिक इतिहास नहीं था। अभियोजन साक्षीगण के द्वारा समाज विराधी क्रिया कलाप को अभियुक्तगण द्वारा कारित किया जाना साबित नहीं किया गया है। प्रकरण में विवेचक के द्वारा ऐसी कोई साक्ष्य संकलित नहीं की गयी है कि अभियुक्तगण के द्वारा गैंगचार्ट में जो मुकदमा दर्शाया गया है, उससे क्या सम्पत्ति अर्जित की गयी है। गैंगचार्ट में वर्णित मु०अ०सं०–26/2007, मु०अ०सं०–529/2007 में अभियुक्तगण दोषमुक्त किये जा चुके है। अभियोजन साक्षीगण की साक्ष्य में गंभीर विरोधाभास है। अतः अभियुक्तगण अधिरोपित आरोप से दोषमुक्त होने योग्य है।

25– मैंने, राज्य की ओर से विद्वान विशेष लोक अभियोजक (गैंगस्टर एक्ट) एवं अभियुक्तगण के विद्वान अधिवक्ता के तर्को को विस्तार पूर्वक सुना तथा पत्रावली पर उपलब्ध सम्पूर्ण मौखिक एवं अभिलेखीय साक्ष्य का गहन परिशीलन किया।

26– **इस प्रकरण के निराकरण के लिए मुख्य रूप से विचारणीय बिन्दु यह है कि :–**

i– **क्या अभियुक्तगण का एक संगठित गिरोह है ?**

ii– **अभियुक्तगण द्वारा भा०दं०सं० के अध्याय 16, 17 व 22 के अन्तर्गत या धारा 2(ख) गैंगस्टर एक्ट में उल्लिखित अन्य अपराध कारित किये गये हैं ?**

iii– **क्या अभियुक्तगण का गैंगचार्ट प्रदर्श क–3 में वर्णित अपराधों को कारित करने का उद्देश्य समाज में भय या आतंक व्याप्त करना या अभियुक्तगण द्वारा स्वयं या अन्य व्यक्ति के लिए भौतिक, आर्थिक व दुनियावी लाभ प्राप्त करना था ?**

–निष्कर्ष–

27– प्रकरण में प्रस्तुत साक्ष्य के अवलोकन के उपरान्त साक्ष्य की पुनरावृत्ति को रोकने के लिए एवं उचित क्रमबन्धन की दृष्टि से उपरोक्त विचारणीय बिन्दुओं का निराकरण एक साथ किया जा रहा है।

28– वर्तमान मामले में अभियुक्तगण चन्द्रकान्त उर्फ कैमी, विपिन उर्फ गुडडू एवं रामू उर्फ रमाकान्त के विरूद्ध गिरोहबंद अधिनियम के अन्तर्गत कार्यवाही मु०अ०सं०–26/2007 धारा 376, 504, 506 भा०दं०सं० बनाम चन्द्रकान्त उर्फ कैमी, विपिन उर्फ गुडडू एवं रामू उर्फ रमाकान्त एवं अ०सं०–529/2007, धारा 384, 506 भा०दं०सं० बनाम चन्द्रकान्त उर्फ कैमी, विपिन उर्फ गुडडू एवं रामू उर्फ रमाकान्त के आधार पर की गयी थी।

29– मामले में सर्वप्रथम विधिक प्रावधान पर दृष्टिपात किया जाना आवश्यक है। उ०प्र० गिरोहबन्द एवं समाज विरोधी क्रिया कलाप निवारण अधिनियम 1986 की धारा–3(1) के अन्तर्गत आरोप साबित करने के लिए अभियोजन को मुख्यतः निम्नलिखित तथ्यों को साबित किया जाना चाहिए:–

i. अभियुक्तगण का एक संगठित गिरोह है।

ii. अभियुक्तगण द्वारा भा०दं०सं० के अध्याय 16, 17 व 22 के अन्तर्गत या धारा 2(ख) गैंगस्टर एक्ट में उल्लिखित अन्य अपराध कारित किये गये हों।

iii. इन अपराधों को कारित करने का उद्देश्य–

(अ)–समाज में भय या आतंक व्याप्त करना या

(ब)–अभियुक्तगण द्वारा स्वयं या अन्य व्यक्ति के लिए भौतिक, आर्थिक व दुनियावी लाभ प्राप्त करना हो।

गिरोह की परिभाषा धारा 2(ख) उ०प्र० गिरोहबन्द एवं समाज विरोधी क्रिया कलाप निवारण अधिनियम 1986 में निम्न प्रकार दी गयी हैं :–

''गिरोह'' का तात्पर्य–ऐसे व्यक्तियों के समूह से है जो लोक–व्यवस्था को अस्त–व्यस्त करने या अपने या किसी अन्य व्यक्ति के लिए कोई अनुचित दुनियावी (टैम्पोरल), आर्थिक–भौतिक या अन्य लाभ प्राप्त करने के उद्देश्य से या तो अकेले या सामूहिक रूप से हिंसा, या हिंसा की धमकी या प्रदर्शन, या अभित्रास, या प्रपीड़न द्वारा, या अन्य प्रकार से भारतीय दण्ड संहिता 1860 के अध्याय 16, 17 व 22 के अधीन दण्डनीय अपराध, संयुक्त प्रान्त आबकारी अधिनियम 1910 अथवा एन०डी०पी०एस० एक्ट अथवा अन्य किसी अधिनियम के प्रावधानों में अपराध करना या विधि सम्मत प्रक्रिया से भिन्न प्रक्रिया द्वारा सम्पत्ति, स्थावर सम्पत्ति पर अध्यासन करना या कब्जा लेना, या स्थावर सम्पत्ति पर चाहे स्वयं या अन्य किसी व्यक्ति के पक्ष में हक या कब्जा के लिए मिथ्या दावा करना, या किसी लोक सेवक या किसी साक्षी को अपने विधिपूर्ण कर्तव्यों का पालन करने से रोकना या रोकने के लिए प्रयत्न करना, अनैतिक व्यापार (निवारण) अधिनियम 1956 या सार्वजनिक द्युत अधिनियम 1867 (अधिनियम सं० 3 सन् 1867) की धारा 3 के अधीन दण्डनीय अपराध, या किसी व्यक्ति को विधिपूर्ण नीलामी आदि में निविदा करने से रोकने, किसी व्यक्ति को अपने विधिपूर्ण कारोबार, वृत्ति, व्यापार या जीविका या उससे सम्बद्ध किसी अन्य विधिपूर्ण क्रियाकलाप को सुचारू रूप से करने से रोकना भा०दं०सं० की धारा 171 ई से सम्बन्धित अपराध या उसमें विघ्न डालना, या जनता में दहशत संत्रास या आतंक फैलाना, या फिरौती उद्योपति करने के आशय से किसी व्यक्ति का व्यपहरण या अपहरण करना, या अन्य उल्लिखित समाज विरोधी क्रिया कलाप करते हैं।

''गिरोहबन्द'' का तात्पर्य–किसी गिरोह के सदस्य या सरगना या संगठक से है और इसके अन्तर्गत कोई ऐसा व्यक्ति भी है जो खण्ड (ख) में प्रमाणित किसी गिरोह के क्रिया कलाप के लिए, चाहे ऐसे क्रिया कलाप के लिए जाने के पूर्व या पश्चात, दुष्प्रेरित करता है या उसमें सहायता देता है, या किसी ऐसे व्यक्ति को जिसने ऐसे क्रिया कलाप किये हो, संश्रय देता है।

गैंग की परिभाषा–से यह स्पष्ट है कि गैंग का तात्पर्य ऐसे व्यक्तियों के समूह है जो हिंसा या हिंसा का भय दिखाकर धारा 2 (ख) में उल्लिखित अपराधों को इस उद्देश्य से कारित करे कि–

1–समाज में भय व आतंक व्याप्त हो या

2–अभियुक्तगण ने भौतिक, आर्थिक व दुनियावी लाभ प्राप्त किये हो।

30– अभियोजन द्वारा अपने मामले के समर्थन में उपनिरीक्षक गोविन्द यादव (पी०डब्लू०–1) को परीक्षित कराया है। उक्त साक्षी के द्वारा गैंगचार्ट के आधार पर एफ०आई०आर० अ०सं०–548/2007 को प्रदर्श क–1 व जी०डी० रपट नं०–43 को प्रदर्श क–2 के रूप में स्वयं के लेख व हस्ताक्षर से साबित किया गया है।

31– अभियोजन द्वारा अपने मामले के समर्थन में (पी०डब्लू०–2) को परीक्षित कराया गया है, जो कि इस प्रकरण के वादी मुकदमा है। उक्त साक्षी के द्वारा अपनी मुख्य परीक्षा में अभियोजन कथानक का समर्थन करते हुए गैंगचार्ट के आधार पर एफ०आई०आर० को प्रदर्श क–1 के रूप में प्रदर्शित करते हुए उन पर अपने हस्ताक्षर को साबित किया गया है। इस साक्षी ने अपनी जिरह के पेज क्रमांक–2 पर कथन किया है कि अ०सं०–26/2007 व 529/2007 थाना कोतवाली देहात का वादी सतीश चन्द्र थे। मुल्जिम व वादी दोनों ग्राम बारथर के रहने वाले है। मुल्जिमान के विरुद्ध उपरोक्त दो मुकदमों के अलावा कोई अन्य मुकदमा किसी अन्य थाने में पंजीकृत नहीं था, न उसकी जानकारी में था। सतीश के अलावा वह जनता के किसी व्यक्ति का नाम नहीं बता सकता, न उसने नाम नोट किये थे और न ही सतीश के अलावा अन्य किसी व्यक्ति ने तहरीर दी थी।

32– अभियोजन द्वारा अपने मामले के समर्थन में सबसे महत्वपूर्ण साक्षी सतीश चन्द्र (पी०डब्लू०–3) को परीक्षित कराया गया है, जो कि अ०सं०–26/2007 व अ०सं०–529/20078 का वादी है। इस साक्षी ने अपनी मुख्य परीक्षा में अभियोजन कथानक का समर्थन किया है, किन्तु जिरह के पेज क्रमांक 2 पर कथन किया है कि उसने इस न्यायालय में बताया था कि अज्ञात व्यक्ति द्वारा उसकी बच्ची के साथ वारदात की थी। वह तथा उसकी पत्नी उस वक्त घर पर नहीं थे। उसके बच्चों ने उसे मुल्जिमानों के नाम नहीं बताये थे। अभियुक्तगण के नाम गांव वालों के कहने पर लिखा दिये थे। ये सभी अभियुक्तगण हमारे उस मुकदमें में दोषमुक्त हो चुके है। इसकी उसे व्यक्तिगत जानकारी है। दूसरा मुकदमा भी न्यायालय से छूट चुका है, क्योंकि कस्टडी में धमकी देने के सम्बन्ध में था। इन लोगों की छवि समाज में गुण्डों वाली नहीं है। हम तथा अभियुक्तगण आज भी गांव में रह रहे है। उसे आज भी इसने कोई परेशानी नहीं है, न ही उसकी बेटियों को है। मुल्जिमानों द्वारा न तो पहले, न ही आज कभी भी धमकी नहीं दी गयी है, न ही मुल्जिमानों द्वारा उसकी बच्ची के साथ बलात्कार या धमकी दी गयी।

33– प्रकरण में अभियोजन ने अपने मामले को साबित करने के लिए सेवानिवृत्त निरीक्षक इन्द्रेश कुमार भदौरिया (पी०डब्लू०–4) को परीक्षित कराया है, जो कि उक्त प्रकरण के विवेचक है। उक्त साक्षी के द्वारा अपनी मुख्य परीक्षा में अभियोजन कथानक का समर्थन करते हुए अपनी जिरह के पेज क्रमांक–1 में कथन किया है कि उसके पास मुकदमें की विवेचना अल्पकाल के लिए रही। उसने उस समय तक सम्पत्ति की कोई जांच नहीं की थी।

34– अभियोजन द्वारा अपने मामले के समर्थन में सेवानिवृत्त उपनिरीक्षक गुलवीर सिंह (पी०डब्लू०–5) को परीक्षित कराया है। इस साक्षी ने अपनी मुख्य परीक्षा में अभियोजन कथानक का समर्थन करते हुए गैंगचार्ट प्रदर्श क–3 के रूप में स्वयं द्वारा तैयार करते हुए अपने लेख व हस्ताक्षर से साबित किया है। इस साक्षी ने अपनी जिरह के पेज क्रमांक 1 पर कथन किया है कि जब गैंगचार्ट बनाते हैं तो गैंगचार्ट पर उस दिन की दिनांक डालते हैं। गैंगचार्ट पर दिनांक उसके द्वारा सहवन गलती से छूट गयी है। उसने मुल्जिमानों के अवैध संपत्ति के बारे में जानकारी जनता से की थी। किसी जनता के व्यक्ति का बयान नहीं लिखा, न किसी जनता के व्यक्ति का नाम उल्लेख किया है। उसे नहीं मालूम कि अभियुक्तगण ने कौन सी अवैध संपत्ति और रूपया इकट्ठा किया है। गांव में जाकर अभियुक्तगण के आचरण के संबंध में किसी का बयान लिया, लेकिन भय के कारण किसी ने अपना नाम नहीं बताया। गांव जाकर उसने अभियुक्तगण की संपत्ति उसने चिन्हित की थी, इनके बारथर में मकान बहुत अच्छे बने हैं। चिन्हित जगह की उसे कोई जानकारी नहीं है। उसने संपत्ति के बारे में कोई साक्ष्य नहीं लगाया है और न उसे कोई साक्ष्य मिला। उसने अभियुक्तगण के बैंक एकाउंट की जानकारी नहीं की थी कि इनके खाते में कितना पैसा है।

35– प्रकरण में अभियोजन ने अपने मामले को साबित करने के लिए क्षेत्राधिकारी नरेश सिंह (पी०डब्लू०–6) को परीक्षित कराया है, जो कि उक्त प्रकरण के विवेचक है। उक्त साक्षी के द्वारा अपनी मुख्य परीक्षा में अभियोजन कथानक का समर्थन करते हुए आरोप पत्र अ०सं०–548/2007, धारा 2/3 गैंगस्टर एक्ट को प्रदर्श–4 के रूप में अपने लेख व हस्ताक्षर से साबित किया गया है तथा अभियोजन स्वीकृति आदेश को प्रदर्श क–5 के रूप में तत्कालीन एस०एस०पी० सुशील कुमार सिंह के हस्ताक्षर से साबित किया है। इस साक्षी ने अपनी जिरह के पेज क्रमांक–1 में कथन किया है कि उसके द्वारा गांव में जाकर किसी पब्लिक के व्यक्ति के बयान नहीं लिये गये। वह गांव मे गया था, लेकिन भय व आंतक के कारण किसी ने बयान नहीं दिया। उसके द्वारा गॉव मे जाकर अभियुक्तों के मकान देखे गये थे। उसने केस डायरी मे अभियुक्तों के मकान का नक्शा या हुलिया अंकित नहीं किया है। अभियुक्तगण की अन्य सम्पत्ति के बारे में जानकारी का प्रयास किया गया था,

लेकिन कोई जानकारी प्राप्त नहीं हुई। मुल्जिमान द्वारा गैंग बनाकर जो सम्पत्ति अर्जित की गयी, उसके सम्बन्ध में उसे जानकारी नहीं हो पायी थी।

36– प्रकरण में सबसे मूलभूत दस्तावेज गैंगचार्ट प्रदर्श क–3 है, जो दिनांक 17–07–2007 को अनुमोदित हुआ है। इस अधिनियम के अन्तर्गत किसी आरोपी या गैंग पर कार्यवाही करने के लिए सबसे बुनियादी और महत्वपूर्ण दस्तावेज गैंगचार्ट होता है। इस गैंगचार्ट के अनुमोदन में जिला मजिस्ट्रेट की भूमिका एक अत्यंत महत्वपूर्ण न्यायिक और प्रशासनिक प्रहरी की तरह होती है। जिला मजिस्ट्रेट की सबसे पहली और कानूनी जिम्मेदारी यह है कि वह पुलिस द्वारा भेजे गये गैंगचार्ट पर आंख मूदकर हस्ताक्षर न करें। पुलिस द्वारा प्रस्तुत की गयी साम्रगी जैसे मूल अपराध की एफ०आई०आर० की कॉपी, चार्जशीट एवं अन्य दस्तावेजों का गहनता से अध्ययन करने के पश्चात ही गैंगचार्ट का अनुमोदन किया जाना चाहिए। यदि दस्तावेजों के आधार पर गैंगस्टर एक्ट के अन्तर्गत कार्यवाही के आधार बन रहे हों तभी जिला मजिस्ट्रेट को इस तथ्य पर अपनी व्यक्तिगत और स्पष्ट संतुष्टि दर्ज करके गैंगचार्ट का अनुमोदन करना चाहिए। यदि जिला मजिस्ट्रेट सन्तुष्ट है तो गैंगचार्ट पर अपनी टिप्पणी के साथ उसे हस्ताक्षर करना होता है। इसके बाद ही प्रकरण में एफ०आई०आर० दर्ज होनी चाहिए। जिला मजिस्ट्रेट के द्वारा अनुमोदन किये जाने का उद्देश्य चेक एवं बैलेन्स के रूप में है, जिससे कि इस कठोर कानून का दुरूपयोग पुलिस द्वारा न किया जा सके और किसी भी नागरिक के खिलाफ कार्यवाही से पहले एक उच्च स्तरीय प्रशासनिक समीक्षा सुनिश्चित की जा सके। जिला मजिस्ट्रेट को पुलिस द्वारा भेजी गयी रिपोर्ट या संस्तुति को यान्त्रिक (Mechanically) रूप से स्वीकार नहीं करना चाहिए। गैंगचार्ट पर बिना सोचे समझे केवल "अनुमोदित" (Approved) लिख देना कानूनी मंशा के विपरीत है। इस प्रकरण में गैंगचार्ट प्रदर्श क–3 पर जिला मजिस्ट्रेट के द्वारा मात्र **"अनुमोदित"** लिखकर हस्ताक्षर किया गया है। गैंगचार्ट प्रदर्श क–3 पर जिला मजिस्ट्रेट के द्वारा ऐसी कोई टीप अंकित नहीं की गयी कि उनके द्वारा किस आधार पर गैंगचार्ट का अनुमोदन किया गया और किन–किन दस्तावेजों का अनुमोदन से पूर्व अवलोकन किया गया। इस प्रकार गैंगचार्ट प्रदर्श क–3 के अवलोकन से प्रकट है कि जिला मजिस्ट्रेट के द्वारा यान्त्रिक रूप से गैंगचार्ट का अनुमोदन बिना मस्तिष्क का प्रयोग किये किया गया है, जिस कारण से गैंगचार्ट का अनुमोदन सम्यक रूप से किया जाना साबित नहीं है।

37– इस प्रकार अभियोजन साक्षी सेवानिवृत्त उपनिरीक्षक राजवीर सिंह (पी०डब्लू०–2), साक्षी सेवानिवृत्त निरीक्षक इन्द्रेश कुमार भदौरिया (पी०डब्लू०–4) एवं साक्षी क्षेत्राधिकारी नरेश सिंह (पी०डब्लू०–6) के बयान के अवलोकन से यह स्पष्ट हो जाता है कि उनके द्वारा गिरोहबंद अधिनियम के अन्तर्गत विशिष्ट घटक के सम्बन्ध में कोई साक्ष्य न्यायालय में प्रस्तुत नहीं की गयी है। उक्त साक्षीगण वर्तमान मामले के वादी मुकदमा तथा विवेचकगण है, परन्तु उनके द्वारा ऐसा कोई तथ्य न्यायालय के समक्ष प्रकट नहीं किया गया है, जिससे यह स्पष्ट हो कि अभियुक्तगण से किस प्रकार समाज में भय या आतंक व्याप्त था तथा अभियुक्तगण द्वारा स्वयं या अन्य व्यक्ति के लिए कौन सा भौतिक, आर्थिक व दुनियावी लाभ प्राप्त किया गया है।

38– इस प्रकरण में अभियोग पत्र प्रदर्श क–4 पर दिनांक 19–08–2008 को प्रसंज्ञान लिया गया है। उस समय गैंगस्टर अधिनियम के अन्तर्गत विवेचना हेतु शासनादेश संख्या–**137 प्र०स0/6–पु०–11–2003–58 (रिट)/2003 दिनांकित 02 जनवरी 2004** प्रचलित था। उक्त शासनादेश के **पैरा नं०–05** में स्पष्टतः उल्लेख है कि **किसी गिरोह के विरूद्ध कार्यवाही करने के लिए, उसके विरूद्ध केवल उन्हीं मामलों को आपराधिक सूची में सम्मिलित मानना चाहिये, जिन मामलों में पुलिस द्वारा विवेचना के उपरान्त आरोप पत्र प्रेषित किया जा चुका है। जिन मामलों में अंतिम रिपोर्ट प्रेषित की जा चुकी है या न्यायालय द्वारा विचारण के उपरान्त अभियुक्त को दोषमुक्त किया जा चुका है, उसे आपराधिक विवरण में सम्मिलित न किया जाये।** गैंगचार्ट प्रदर्श क–3 में वर्णित मु०अ०सं०–26/2007 एवं मु०अ०सं०–529/2007 की विवेचना उपरान्त आरोप पत्र प्रेषित किये जाने का उल्लेख नहीं है। उक्त **शासनादेश के पैरा नं०–07** में लेख है कि इस अधिनियम के अन्तर्गत पंजीकृत अभियोगों की विवेचना अनिवार्यतः दूसरे थाने के प्रभारी द्वारा की जानी चाहिए। इस प्रकरण में विवेचना थानाध्यक्ष नरेश कुमार सिंह के द्वारा की गयी है। तत्समय वे थाना कोतवाली देहात में ही पदस्थ थे। इस प्रकार इस प्रकरण में विहित प्रक्रिया का अनुपालन नहीं न करते हुए विधिक प्रावधानों का उल्लंघन कर मामले में ऋजु विवेचना नहीं की गयी है।

39– पत्रावली के अवलोकन से विदित है कि अभियोजन साक्षी सेवानिवृत्त उपनिरीक्षक गुलवीर सिंह (पी०डब्लू०–5) जिनके द्वारा वर्तमान प्रकरण में गैंगचार्ट प्रदर्श क–3 तैयार किया गया है तथा उसी के आधार

पर प्रदर्श क–1 प्रथम सूचना रिपोर्ट पंजीकृत हुई है। इस साक्षी ने अपनी जिरह के पेज क्रमांक–1 पर कथन किया है कि **उसने मुल्जिमानों के अवैध संपत्ति के बारे में जानकारी जनता से की थी। किसी जनता के व्यक्ति का बयान नहीं लिखा, न किसी जनता के व्यक्ति का नाम उल्लेख किया है। उसे नहीं मालूम कि अभियुक्तगण ने कौन सी अवैध संपत्ति और रूपया इकट्ठा किया है। गांव में जाकर अभियुक्तगण के आचरण के संबंध में किसी का बयान लिया, लेकिन भय के कारण किसी ने अपना नाम नहीं बताया। गांव जाकर उसने अभियुक्तगण की संपत्ति उसने चिन्हित की थी, इनके बारथर में मकान बहुत अच्छे बने हैं। चिन्हित जगह की उसे कोई जानकारी नहीं है। उसने संपत्ति के बारे में कोई साक्ष्य नहीं लगाया है और न उसे कोई साक्ष्य मिला। उसने अभियुक्तगण के बैंक एकाउंट की जानकारी नहीं की थी कि इनके खाते में कितना पैसा है।**

40– पत्रावली में अभियोजन साक्षीगण गोविन्द यादव (पी०डब्लू०–1), राजवीर सिंह (पी०डब्लू०–2), सतीशचन्द्र (पी०डब्लू०–3), इन्द्रेश कुमार भदौरिया (पी०डब्लू०–4), गुलवीर सिंह (पी०डब्लू०–5) एवं नरेश सिंह (पी०डब्लू०–6) के द्वारा अपने न्यायालययीन कथनों में ऐसा कोई तथ्य प्रकट नहीं किया गया है, जिससे यह परिलक्षित हो कि **अभियुक्तगण ने कोई चल व अचल सम्पत्ति प्राप्त की है और भौतिक, आर्थिक व दुनियावी लाभ के लिए स्वयं अथवा किसी अन्य के लिए गैंगचार्ट प्रदर्श क–3 में वर्णित अपराध से कोई अवैध सम्पत्ति अर्जित की है।** भौतिक या दुनियावी लाभ या अन्य लाभ से तात्पर्य कोई ऐसा लाभ प्राप्त करने से है, जो उस अपराध करने वाले व्यक्ति को सुख, सुविधा में वृद्धि करता है या उसकी अहम की चेष्टा की पूर्ति करता है या समाज में उस गिरोह की धमक कायम करने की क्षमता रखता है। उक्त गिरोह उक्त उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए किये जा रहे उस आपराधिक कृत्य हिंसा या हिंसा की धमकी या प्रदर्शन अथवा प्रपीड़न द्वारा प्राप्त कर रहा है, तब यह माना जायेगा कि उस गिरोह के द्वारा किया गया आपराधिक कृत्य इस अधिनियम के प्रावधान को आकर्षित कर रहा है। वर्तमान मामले में अभियोजन द्वारा ऐसी कोई साक्ष्य प्रस्तुत नहीं की गयी है कि अभियुक्तगण के द्वारा कौन सी सुख सुविधा में वृद्धि की गयी और समाज में उनकी धमक किस प्रकार से कायम रही। इस प्रकरण में अभियुक्तगण के पास किसी भी चल, अचल सम्पत्ति का नहीं होना पाया गया है। पत्रावली में ऐसी भी कोई साक्ष्य नहीं है, जिससे यह प्रकट होता हो कि अभियुक्तगण किसी संगठित गिरोह के सदस्य थे और उनके द्वारा आर्थिक, भौतिक व दुनियावी लाभ प्राप्त करने के लिए गैंगचार्ट प्रदर्श क–3 में दर्शित अपराध कारित किये गये।

41– इसके अतिरिक्त प्रकरण में महत्वपूर्ण तथ्य यह भी है कि अभियुक्तगण को गैंगचार्ट प्रदर्श क–3 में वर्णित मुकदमा **अ०सं०–26/2007 एवं अ०सं०–529/2007 में दोषमुक्त** किया जा चुका है, जिसके निर्णय की प्रतिलिपि पत्रावली में क्रमशः कागज संख्या 70 ब/3 लगायत 70 ब/5 व 70 ब/7 लगायत 70 ब/10 है। माननीय उच्च न्यायालय, इलाहाबाद द्वारा विधि व्यवस्था **अब्दुल कादिर खॉन बनाम उत्तर प्रदेश राज्य, 2024 ए एच सी 5837** में यह सिद्धान्त प्रतिपादित किया गया है कि अगर अभियुक्त को न्यायालय द्वारा उन मुकदमों में दोषमुक्त कर दिया गया है जिनके आधार पर उसके विरूद्ध गिरोहबंद अधिनियम के अन्तर्गत कार्यवाही की गयी है तो अभियुक्त को गिरोहबंद अधिनियम के अन्तर्गत दोषी करार नहीं किया जा सकता। इसी प्रकार माननीय उच्च न्यायालय द्वारा विधि व्यवस्था **यामीन बनाम उत्तर प्रदेश राज्य एवं अन्य, 2025 ए०एच०सी० 175690** में भी अवधारित किया गया है कि यदि मूल केस जिसके आधार पर गैंगस्टर एक्ट की कार्यवाही की गयी है, यदि वह केस समाप्त कर दिया जाये तो गैंगस्टर अधिनियम की कार्यवाही की नीव ही खत्म हो जाती है। इस प्रकार उपरोक्त विधि व्यवस्था के अवलोकन से यह स्पष्ट हो जाता है कि अगर अभियुक्तगण को उन सभी मुकदमों में न्यायालय द्वारा विचारणोपरान्त उनके विरूद्ध अधिरोपित आरोपों से दोषमुक्त किया जा चुका है तो उनके विरूद्ध गिरोहबंद अधिनियम के अन्तर्गत विचारण करने का कोई आधार शेष नहीं रह जाता है। माननीय उच्चतम न्यायालय की विधि व्यवस्था **Farhana Vs. State of U.P. (2024 SCC OnLine SC 159)** में अवधारित किया गया है कि **"एक बार जब आधारभूत मामला (Base Case) पहले ही निरस्त किया जा चुका हो या अभियुक्त उसमें दोषमुक्त हो चुका हो तो गैंगस्टर अधिनियम के अन्तर्गत आक्षेपित कार्यवाही जारी नहीं रह सकती, ऐसी स्थिति में सम्पूर्ण प्रक्रिया पोषणीय नहीं है और वह निरस्त किये जाने योग्य है।"** इस प्रकरण में गैंगचार्ट प्रदर्श क–3 में वर्णित मुकदमें अ०सं०–26/2007 एवं अ०सं०–529/2007 में अभियुक्तगण को दोषमुक्त किया जा चुका है।

42– न्यायालय के मतानुसार उपरोक्त साक्ष्य के विश्लेषण से यह स्पष्ट हो जाता है कि अभियुक्तगण को गिरोहबंद अधिनियम के अन्तर्गत दोषी ठहराये जाने के लिए कोई साक्ष्य पत्रावली पर उपलब्ध नहीं है। अभियोजन द्वारा अभियुक्तगण के पास अपराध से सृजित किसी भी चल एवं अचल सम्पत्ति होने के तथ्य को साबित नहीं किया जा सका है। अभियोजन द्वारा यह भी साबित नहीं किया जा सका है कि अभियुक्तगण से लोक व्यवस्था को खतरा था।

विवेचना में किसी भी व्यक्ति के द्वारा ऐसा कोई कथन नहीं किया गया है कि अभियुक्तगण का समाज में भय व्याप्त था और अभियुक्तगण की उपस्थिति से लोक शांति खतरे में थी। गैंगचार्ट प्रदर्श क–3 में उल्लिखित अ०सं०–26/2007 एवं अ०सं०–529/2007 में अभियुक्तगण दोषमुक्त किये जा चुके हैं। इसके अतिरिक्त अभियोजन गिरोहबंद अधिनियम के विशिष्ट घटक को अतुल्य साक्ष्य से साबित करने में असफल रहा है। अतः अभियुक्तगण अधिरोपित आरोप में संदेह का लाभ पाकर दोषमुक्त किये जाने योग्य है।

–आदेश–

अभियुक्तगण **चन्द्रकान्त उर्फ कैमी, विपिन उर्फ गुड्डू एवं रामू उर्फ रमाकान्त** को **जी०एस०टी० संख्या–321/2008 उ०प्र० राज्य** बनाम **चन्द्रकान्त आदि** मुकदमा **अपराध संख्या–548/2007,** थाना **कोतवाली देहात,** जिला **एटा** के प्रकरण में उनके विरूद्ध अधिरोपित आरोप अंतर्गत धारा 2/3 उ०प्र० गिरोहबन्द एवं समाज विरोधी क्रियाकलाप (निवारण) अधिनियम, 1986 से **दोषमुक्त** किया जाता है।

अभियुक्तगण जमानत पर हैं। अभियुक्तगण के निजी बन्धपत्र निरस्त किये जाते हैं एवं जमानतदारों को उनके दायित्व से उन्मोचित किया जाता है।

अभियुक्तगण को आदेशित किया जाता है कि वे दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 437ए (धारा 481 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता) के प्रावधान के अनुपालन में मुव०–20,000/–रूपये–20,000/– (बीस–बीस हजार रूपये) के व्यक्तिगत बंधपत्र एवं इसी धनराशि की दो–दो जमानते न्यायालय में अन्दर सप्ताह दाखिल करें कि इस निर्णय के विरूद्ध कोई अपील होने की दशा में अपीलीय न्यायालय द्वारा नोटिस जारी करने पर अभियुक्तगण अपीलीय न्यायालय के समक्ष उपस्थित रहेगें।

दिनांक 19–08–2026

(कमालुद्दीन)
विशेष न्यायाधीश (गैंगस्टर एक्ट)/
अपर सत्र न्यायाधीश, कक्ष संख्या–3, एटा।
J.O. Code U.P. 2690

आज यह निर्णय मेरे द्वारा खुले न्यायालय में हस्ताक्षरित एवं दिनांकित करके उदघोषित किया गया।

दिनांक 19–08–2026

(कमालुद्दीन)
विशेष न्यायाधीश (गैंगस्टर एक्ट)/
अपर सत्र न्यायाधीश, कक्ष संख्या–3, एटा।
J.O. Code U.P. 2690